न्यायालय   उप जिलाधिकारी

धारा 143 ज०वि०एवं०भू०व्यव०अधि०

केस संख्या -21/11

ग्राम- अकरौली   परगना व तहसील चन्दौसी जिला मुरादाबाद

सरकार   बनाम   सोनल एजूकेशनल सोसायटी

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही सोनल एजूकेशन सोसायटी, सोनई तहसील मॉट जिला मथुरा द्वारा पवन कुमार शर्मा उप प्रबन्धक पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा नि० सी० 21 रामगंगा विहार मुरादाबाद के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2010 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि ग्राम अकरौली खाता संख्या 1116 रकबा 0.721 लगान 27.40रु० के 4/5 भाग की भूमि को उ०प्र०ज०वि०अधि० की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार चन्दौसी से जांच आख्या मांगी गयी। तहसीलदार चन्दौसी ने अपनी जांच आख्या दिनांक 12.01.2011 के अनुसार ग्राम अकरौली के खाता संख्या 1116 रकबा 0.721 हे० में से 0.576हे० लगान 21.92 रु० को धारा 143 ज०वि०एवं०भू०व्यव०अधि० के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित प्रेषित की है। उपरोक्त वाद तहसीलदार, चन्दौसी की जांच आख्या दिनांक 12.01.2011 के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। तहसील चन्दौसी स्थित ग्राम अकरौली के खाता संख्या 1116 रकबा 0.721हे० में से 0.576हे० लगान 21.92 रु० को आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर आबादी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार, चन्दौसी की संस्तुति दिनांक 12.01.2011 के आधार पर तहसील चन्दौसी स्थित ग्राम अकरौली के खाता संख्या 1116 रकबा 0.721हे० में से 0.576हे० लगान 21.92रु० को आबादी घोषित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जावे।

उप जिलाधिकारी
चन्दौसी, मुरादाबाद

दिनांक-04-02-2011

आज दिनांक 04-02-2011 को यह आदेश/निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

उप जिलाधिकारी
चन्दौसी, मुरादाबाद

दिनांक-04-02-2011

1196
06-5-16
राजेन्द्र कुमार
13
07-5-16
07-5-16

सत्यप्रतिलिपि
अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार
मुरादाबाद